



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

संजय भा. गवई
Sanjay B. Gawai
कुलसचिव / Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-230902
फैक्स / Fax: +91-7152-230903

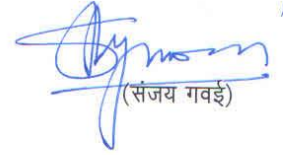
पत्रांक: 005/2015/प्र.स./01/148

दिनांक: 20.02.2015

परिपत्र

जैसा कि ज्ञात है मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार सत्र 2015-16 से अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रमों को Choiced Based Credit System (CBCS) के अनुरूप उपलब्ध कराना है। समस्त विभागाध्यक्षों/केंद्राध्यक्षों से अनुरोध है कि संलग्न प्रारूप के अनुसार हर परीक्षा के अंतर्गत सम्मिलित प्रत्येक पाठ्यक्रम का विवरण 02 मार्च, 2015 तक अकादमिक विभाग में प्रस्तुत करने का कष्ट करें ताकि समस्त विवरण मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रेषित किया जा सके।

इसे सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार निर्गत किया जा रहा है।


(संजय गवई)

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. विश्वविद्यालय के सभी विद्यापीठ/विभाग/केंद्र
4. क्षेत्रीय केंद्र इलाहाबाद एवं कोलकाता
5. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
6. संबंधित फाइल



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

विभाग/केंद्र का नाम:

1. विषय कोड: पाठ्यक्रम शीर्षक:
2. सम्पर्क कक्षाएं: व्याख्यान ☐ प्रायोगिक कार्य ☐ ट्यूटोरियल ☐
3. परीक्षा अवधि (घंटे): सिद्धांत ☐ प्रायोगिक ☐ सेमिनार ☐
4. क्रेडिट: ☐ 6. सेमेस्टर:
7. अनिवार्य अर्हता:
8. पाठ्यचर्या:

क्र.सं.	विषय वस्तु	संपर्क के घंटे
1		
2		
3		
4		
5		
6		

9. संस्तुत पुस्तकें: कृपया संपूर्ण विवरण (यथा- शीर्षक, लेखक, प्रकाशक, प्रकाशन वर्ष आदि) दें।